न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 660 / 2024

अनवान : –

1. नींद्र कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सरजीत पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. सुखपाल कौर पत्नी सर्वजीत पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. जसनदीप पुत्री सर्वजीत पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. समनदीप पुत्री सर्वजीत पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 30/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167/150 की कुल 0.1040 हैक्ट भूमि व खाता स0 168/151 कीं कुल 6.1990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है व रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 69/67 की कुल 5.1870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादीया की माता मृतका मितकोर पत्नी महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि सायला की दादालाई भूमि है जिसमें सायला का जन्मजात हक हिस्सा है सायला की माता मितकोर पत्नी महेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा सायला के एक भाई सर्वजीत पुत्र महेन्द्रसिंह का भी देहान्त हो चुका है सायल की माता के नाम दर्ज भूमि व गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि में सायला का जन्मजात हक हिस्सा है । वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहता है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167/150 की कुल 0.1040 हैक्ट भूमि व खाता स0 168/151 की कुल 6.1990 हैक्ट व रोही मौजा 11 बारानी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के ख़ाता स0 69/67 की कुल 5.1870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की वे प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि पैतृक नही है जबकि अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है एवं मितकौर जो की मुझ अप्रार्थी की पत्नी है के नाम दर्ज भूमि भी मुझ अप्रार्थी द्वारा खरीद कर मितकौर के नाम दर्ज करवाई गई है उक्त भूमि में सायला को कोई हक हिस्सा नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को उक्त वाद भूमि सायला की दादालाई भूमि है जिसमें सायला का जन्मजात हक हिस्सा है सायला की माता मितकोर पत्नी महेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा सायला के एक भाई सर्वजीत पुत्र महेन्द्रसिंह का भी देहान्त हो चुका है सायल की माता के नाम दर्ज भूमि व गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि में सायला का जन्मजात हक हिस्सा है । वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहता है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि पैतृक नही है जबकि अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है एवं मितकौर जो की मुझ अप्रार्थी की पत्नी है के नाम दर्ज भूमि भी मुझ अप्रार्थी द्वारा खरीद कर मितकौर के नाम दर्ज करवाई गई है उक्त भूमि में सायला को कोई हक हिस्सा नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती हैं? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 167/150 की कुल 0.1040 हैक्ट भूमि व खाता स0 168/151 की कुल 6.1990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति बैयनामा के मुताबिक अप्रार्थी स0 1 की स्वयं की खरीदशुदा भूमि है व रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 69/67 की कुल 5.1870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादीया की माता मृतका मितकोर पत्नी महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है मितकोर का देहान्त हो चुका है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उनके वारिसान की नाम दर्ज होनी है। विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीया के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 10.07.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:00 IST
Reason: SelfAttested